न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:–96/2010 निर्णय दिनांक :–30.03.2021

उनवानी दावा :

1. दीपू पुत्र रामनारायण जाति दरोगा निवासी चान्दली तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. कुलदीप पुत्र रामनारायण जाति दरोगा नाबालिग निवासी चान्दली तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. मोनू पुत्र रामनारायण जाति दरोगा नाबालिग निवासी चान्दली तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. दुर्गा देवी पुत्री मदना जाति दरोगा निवासी चान्दली तहसील देवली जिला टोंक राज0

–वादीगण –

बनाम

1. तहसीलदार महोदय, देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. राजस्थान राज्य, जरिये जिला कलेक्टर जिला टोंक राज0

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादीगण

पेरोकार सरकार

दावा घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज,एवं स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता व दादा की खातेदारी की आराजीयात साबिक ख0नं0 2283 रकबा 4 बीस्वा गैर मुमकिन चाह वाके ग्राम चान्दली तह0 देवली में स्थित है। वादी के पिता व दादा मदना की खातेदारी में सेटलमेंट से पूर्व साबिक ख0नं0 1409 रकबा 12बीस्वा, ख0नं0 1438 रकबा 14 बीस्वा, ख0नं0 1986 रकबा 3 बीघा 7 बीस्वा, ख0नं0 2084 रकबा 7 बीघा 7 बीस्वा, ख0नं0 2277 रकबा 1 बीघा 5 बीस्वा, ख0नं0 2278 रकबा 11 बीस्वा, ख0नं0 2282 रकबा 3 बीस्वा, ख0नं0 2279 रकबा 12 बीस्वा, ख0नं0 2280 रकबा 1 बीस्वा, ख0नं0 2281 रकबा 3 बीस्वा, ख0नं0 2283 रकबा 4 बीस्वा गैर मुमकिन चाह कुल किता 11 कुल रकबा 14 बीघा 19 बीस्वा जमीन है, जो वाके ग्राम चान्दली तह0 देवली में स्थित है। सेटलमेंट के बाद वादीगण के पिता व दादा के खाते में 1.99 है0 जमीन खातेदारी में लगा दी गई जबकि वादीगण के खाते में 3.72 है0 जमीन खाते में लगानी चाहिए थी। हाल ही में उथरना राजस्व गांव बनने के कारण वह चान्दली गांव से अलग हो गया और ग्राम चान्दली गांव से अलग हो गया और ग्राम चान्दली के सभी खसरा नम्बरान के नम्बर बदल दिये गये।

वादी के पिता व दादा की खातेदारी में साबिक ख0नं0 2283 रकबा 4 बीस्वा,गैर मुमकिन चाह था, जिसके सेटलमेंट के बाद नये नं0 2277 रकबा 0.01 है0 बना दिये और इसको सिवायचक अंकित कर दिया गया। उथरना राजस्व गांव बनने के बाद उक्त 2277 के नये नं0 1625 रकबा 0.01 है0 बना दिये गये। वादीगण अपने खातेदारी के खेतो को हाल ख0नं0 1625 रकबा 0.01 बीस्वा से सिंचित करते है, उक्त कुआ सेटलमेंट से पूर्व वादीगण के पूर्वजो की खातेदारी मे था और सेटलमेंट के दौरान उक्त कुंए को वादीगण की खातेदारी में लगाना चाहिए था, लेकिन बिना किसी सक्षम न्यायालय के अधिकारी के आदेश के इसको सिवायचक अंकित कर दिया गया है, जो बिलकुल गलत है, जिसकी दुरूस्ती के लिए यह वाद श्रीमान की सेवा पेश है। उक्त विवादित कुएं पर आज भी वादीगण का कब्जा है अपनी खातेदारी की जमीन को वादीगण इसी कुंए से सिंचित कर रहे है। प्रतिवादीगण वादीगण को उक्त कुंए से बेदखल करने पर आमादा है। इस कारण उनको जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वे स्वंय जरिये ऐजेन्ट, नोकर, चाकर के वादीगण को उक्त कुंए से बेदखल नही करें ओर पाबन्द रहें।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार हैः–वाद पत्र चरण सं0 1 रिर्काडेड है। वाद पत्र चरण सं0 2 रिर्काडेड है। वाद पत्र चरण सं0 3 रिर्काडेड है। वाद पत्र चरण सं0 4 स्वीकार है। वाद पत्र चरण सं0 5 रिर्काडेड है। वाद पत्र चरण सं0 6 स्वीकार नही है। वाद पत्र चरण सं0 7 स्वीकार नही है।

अतः जवाब दावा प्रस्तुत है। अन्य बिन्दु वास्ते समय पर निवेदन किये जाने योग्य है। तनकियात बिन्दू कायम कर उभयपक्ष को सुनाये गये।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने बयान गवाह पी. डब्ल्यू 1 स्वयं वादी दीपू पुत्र रामनारायण पुत्र मदना जाति दरोगा उम्र 19 वर्ष निवासी चांदली तहसील देवली पी. डब्ल्यू–2 रघुवीर सिंह पुत्र नाथू दरोगा जाति दरोगा निवासी बीजवाड़ तहसील देवली व पी. डब्ल्यू–3 भंवर सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति दरोगा उम्र 32 वर्ष निवासी कुचलवाड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0 के पेश किये। वादी ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार हैः–प्रदर्श–1 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–2 जमाबन्दी 2020–33, प्रदर्श–3 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2062–65 प्रदर्श 5 जमाबन्दी सम्वत 2062–65, प्रदर्श–6 मिलान क्षैत्रफल नवीन ग्राम उथरना बनाये जाने से सम्वत 2058–61, प्रदर्श 7 पी–14 की नकल सम्वत 2067 प्रदर्श–8 जमाबन्दी सम्वत 2066–69 पेश किये है। वादी द्वारा साक्ष्य नहीं लाने से जिरह नही हो सकी। साक्ष्यवादी बन्द की

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई।

पेरोकार सरकार द्वारा कोई साक्ष्य नहीं कराये जाने से प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वाद वर्णित आराजी भूमि ख. नं. 2283 रकबा 4 बिसवा गै. मु. चाह वाके ग्राम चान्दली में

थी जिसको सेटलमेन्ट ने नये नम्बर 2277 रकबा 0.01 है0 बनाते हुए सिवायचक कर दिया। चांदली से नया राजस्व ग्राम उथरना बन जाने से ख. नं. 2277 से हाल नया ख. नं. 1625 रकबा 0.01 है0 बना दिया और राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज कर दिया। वर्तमान में ख. नं. 1625 सम्पूर्ण पर वादीगण का कब्जा है और वादीगण की पुश्तैनी जमीन है, जिसको सेटलमेन्ट ने वादीगण की खातेदारी में न लगाकर बिना किसी न्यायालय के सक्षम आदेश के सिवायचक कर दिया, जबकि सेटलमेंन्ट को पुरानी प्रविष्टि को ही दोहराना चाहिए था। अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जावे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि सेटलमेन्ट तत्समय कब्जे के आधार पर प्रविष्टि करता है जो सही है। वर्तमान में यह भूमि काफी अधिक कीमती है जिसके कारण वादी ने यह वाद पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

तनकीवार निर्णय :–

1. आया वादीगण आराजी ख0नं0 1625 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह ग्राम चांदली की खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने के हकदार है?

–वादीगण–

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श–2 जमाबन्दी 2020–33 वाके ग्राम चांदली पेश की है जिसमे वाद वर्णित साबिक आराजी ख. नं. 2283 रकबा 4 बिसवा का खातेदार मदना पुत्र प्रताप कौम दरोगा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रदर्श–3 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 के अनुसार ख. नं. 2283 से नये ख. नं. 2277 रकबा 0.01 बनना प्रदर्शित है। प्रदर्श–6 मिलान क्षैत्रफल नवीन ग्राम उथरना बनाये जाने से सम्वत 2058–61 में ख. नं. 2277 से ख. नं. 1625 दर्शित है। , प्रदर्श 7 पी–14 की नकल सम्वत 2067 के अनुसार ख. नं. 1625 रकबा 0.01 है0 वादीगण के नाम कब्जे के रूप में दर्ज है। प्रदर्श– 5 व 8 जमाबन्दी सम्वत 2062–65 व 2066–69 के अनुसार ख. नं. 1625 रकबा 0.01 है0 किस्म गै. मु. चाह राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड से वादीगण ने तनकी को साबित किया है। अतः यह तनकी वादीपक्ष विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

2. आया प्रति0 वाद न्यायोचित नही है।

–प्रतिवादीगण–

तनकी नं. 2 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। पेरोकार सरकार ने इसके लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सहादत पेश नहीं की । अतः तनकी नं. 2 का निर्णय विरूद्ध प्रतिवादीगण वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन, अधिवक्ता वादी की बहस व उक्त तनकी का विवेचन व विश्लेषण अनुसार वादीगण ने अपने वाद को राजस्व रिकॉर्ड व दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी साबित किया है। अतः वादीगण को हाल आराजी ख. नं. 1625 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन चाह का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार देवली निर्णयानुसार दर्ज राजस्व अभिलेख करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...मुकाम देवली

व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक...

उनवानी दावा :

1. दीपू पुत्र रामनारायण जाति दरोगा निवासी चान्दली तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. कुलदीप पुत्र रामनारायण जाति दरोगा नाबालिग निवासी चान्दली तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. मोनू पुत्र रामनारायण जाति दरोगा नाबालिग निवासी चान्दली तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. दुर्गा देवी पुत्री मदना जाति दरोगा निवासी चान्दली तहसील देवली जिला टोंक राज0

—वादीगण —

बनाम

1. तहसीलदार महोदय, देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. राजस्थान राज्य, जरिये जिला कलेक्टर जिला टोंक राज0

— प्रतिवादीगण —

<u>दावा घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज,एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नं. 96 सन् 2010

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

विवादित आराजी को राजस्व रिकॉर्ड से साबित करने के अभाव में वाद खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार दूनी को राजकीय भूमियों को भूमिधारी होने के कारण आदेशित किया जाता है कि वह उक्त सिवायचक भूमियों से अतिक्रमण हटाकर, अपने कब्जे में ले।

निजी...मुवलिक..बाबत् ....

.......................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 03 सन् 2021 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

ओहदा उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक) ....

मुहर

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अदालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतान वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजरायहुक्मनामा अन्य मिजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अदालत मेहनतान वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजरायहुक्मनामा अन्य मिजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए